

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला खरगोन म0प्र0

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 धारा 4 में वर्णित सूचना अधिकार और अधिकारियों के बाध्यताओं के संबंध में 17 बिन्दुओं की मैन्यूल जानकारी निम्नानुसार है। बिन्दु क्रमांक 1 जिला खरगोन अन्तर्गत सहायक संचालक मत्स्योद्योग खरगोन के नाम से कार्यालय स्थापित होकर प्रशासनिक कार्यालय जिसमें अधिकारियों के पद स्वीकृत एवं भरे हुए हैं एवं उनके कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद
1	सहायक संचालक	1	—
2	सहायक मत्स्य अधिकारी	3	2
3	मत्स्य निरीक्षक	3	3
4	सहायक वर्ग - 2	1	1
5	सहायक वर्ग - 3	2	—
6	मत्स्य जमादार	4	—
7	भृत्य	2	1
8	वाहन चालक	1	—
9	वाहन क्लीनर	2	—
10	चौकिदार	2	1
11	बोटमेन	1	—
12	मछुआ	1	—

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद का नाम	कर्तव्य
1	डी0 एस0 सोलंकी	सहायक संचालक प्रभारी / सहायक मत्स्य अधिकारी	विभागीय समस्त योजनाओं का संचालन, कार्यपालन एवं नियंत्रण, कार्यालयीन तकनिकी कार्य एवं विकासखण्ड भीकनगांव, झिरन्या का प्रभार
2	दिलीप सोलंकी	सहायक मत्स्य अधिकारी	कार्यालयीन कम्प्युटर तकनिकी कार्य, वाहन स्टेशनरी, एवं वि.ख. भगवानपुरा, खरगोन, सेगांव का प्रभार

3	अजय जमींदार	मत्स्य निरीक्षक	विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बामन्दी एवं साटक जलाशय के कार्य एवं विकासखण्ड कसरावद का प्रभार
4	जे० एल० पाटीदार	मत्स्य निरीक्षक	विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पिपल्या बुजुर्ग का कार्य एवं विकासखण्ड महेश्वर, बडवाह का प्रभार
5	नयन माहिले	मत्स्य निरीक्षक	कार्यालयीन तकनिकी कार्य एवं विकासखण्ड गौगावा का प्रभार
6	एस० सी० मण्डलोई	सहायक वर्ग – 2	कार्यालयीन लेखा, संधारण एवं स्थापना संबंधी कार्यों का प्रभार
7	जामसिंग डावर	भृत्य	फाईल स्टेशनरी/डाक संबंधी
8	जगदीश जमरे	चौकीदार	कार्यालयीन रात्रिकालीन ड्यूटी एवं आवक-जावक शाखा प्रभार

बिन्दु क्रमांक : 1 – मत्स्योद्योग विभाग द्वारा जिले के अन्तर्गत मत्स्योद्योग विकास संबंधी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन मछुओं को मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं तकनिकी मार्गदर्शन ।

बिन्दु क्रमांक : 2 – जिले में उपलब्ध सिंचाई जल संसाधनों को मछली पालन के पट्टों पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था अन्तर्गत 0 से 10 हैक्टेयर तक ग्राम पंचायत से एवं 10 से 100 हैक्टेयर जनपद पंचायत एवं 100 हैक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र के सिंचाई जलाशय जिला पंचायत द्वारा नियमानुसार 10 वर्षीय मछली पालन पट्टा पर आवण्टित किये जाते हैं। एवं उचित दिशा निर्देश तकनिकी विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है।

बिन्दु क्रमांक : 3 – जिले में उपलब्ध अमला सहायक मत्स्य अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षकों को विकासखण्डों में मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दायित्व। पट्टे के तालाबों

में उचित प्रकार का मत्स्य बीज संचयन करवाना, जिससे पट्टाधारक मत्स्य पालकों को मत्स्य उत्पादन से उचित लाभ मिल सके तथा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। एवं अन्य स्थानीय मत्स्य पालन समस्याओं का निराकरण करना। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी मार्गदर्शन, मत्स्य आहार एवं नवाचार हेतु प्रोत्साहित करना।

बिन्दु क्रमांक : 4 – मत्स्योद्योग विभाग के अधीन विभागीय जलाशय में मत्स्य बीज संचयन मत्स्योत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन कार्य लक्ष्य अनुसार/मत्स्य निरीक्षक द्वारा कराया जाता है, जिसकी समय पर समीक्षा किया जाकर दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं। मत्स्य पालन के अधीन शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र है 1 साटक विकासखण्ड कसरावद एवं 2 पिपल्या बुजुर्ग विकासखण्ड महेश्वर है। उक्त दोनों ही प्रक्षेत्रों पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक द्वारा निर्धारित विभागीय लक्ष्यों के अनुरूप जिले से निम्नानुसार मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

क्रं	मत्स्य बीज का प्रकार	इकाई	उत्पादन का विवरण लाख में
1	मेजर कार्प स्पॉन	लाख	750 लाख
2	मेजर कार्प स्टे. फ़ाय	लाख	95.00 लाख

जिले में एक मात्र विभागीय साटक जलाशय हैं जिसमें विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार 2.62 लाख मत्स्य बीज अंगुलिकाओं का संचयन कर कुल 22 मैट्रिक टन उत्पादन कर शासन को राशि रु. 4.00 लाख का राजस्व प्रदाय किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक : 5 – विभाग के अधीन शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र साटक एवं पिपल्या पर लक्ष्य अनुसार मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रक्षेत्र पर पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक द्वारा किया जाता है। उक्त स्पॉन मत्स्य बीज को संवर्धन कर फ़ाय एवं फिंगरलिंग साईज के मत्स्य बीज जिले के तालाब पट्टाधारक के सहकारी समितियों एवं समुहों को उचित शासकीय दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष मत्स्य पालकों को कुल 75 लाख मत्स्य बीज वितरीत कर शासन को कुल 6 लाख का राजस्व प्रदाय किया गया है।

बिन्दु क्रमांक : 6 – जिले के मछुओं को विभागीय लक्ष्य अनुसार मछली पालन से संबंधी 7 दिवसीय विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें मछुओं को विभाग द्वारा नियम अनुसार रूपयें 150/- प्रतिदिवस की दर से भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति रूपये 2775 /- प्रशिक्षण भत्ता देने का प्रावधान है।

बिन्दु क्रमांक : 7 – जिले में केन्द्र की योजना अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास एवं नील क्रांति योजना में योजना प्रावधानुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम

जैसे- मोटर साईकिल विथ आईस बॉक्स , मत्स्य बीज संवर्धन, तालाब निर्माण, केज कल्चर एवं मत्स्य हाट बाजार इत्यादि कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहे है।

बिन्दु क्रमांक : 8 – जिले में पट्टे पर आवण्टित तालाबों के पट्टा धारक समितियों को नियमानुसार ऋण/अनुदान प्रदाय किया जाता है इसके साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को बजट प्रावधान के अन्तर्गत नियमानुसार अनुदान प्रदाय किया जाता है। मत्स्य पालन प्रसार योजना में तालाब पट्टा धारक समुह को 15000/- रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

बिन्दु क्रमांक : 9 – म.प्र. शासन एवं संचालक द्वारा जारी दिशा निर्देश जो अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर बन्धकारी होते है, जिनकी रखरखाव कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। कार्यालय में उपलब्ध उक्त निर्देशिका अवलोकन हेतु उपलब्ध रखी जा रही है।

बिन्दु क्रमांक : 10 – संचालक मत्स्योद्योग म.प्र. भोपाल द्वारा प्रशासन में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन रूपये 3.88922/-लाख स्वीकृत बजट अनुसार भुगतान किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक : 11 – विभाग द्वारा समस्त वर्ग की पात्र पंजीकृत मछुआ समितियों को मछुआ सहकारीता योजना अन्तर्गत आर्थिक विकास एवं सुदृढिकरण हेतु शासन से प्राप्त बजट प्रावधान की सीमा में नियमानुसार अधिकतम 1.50 लाख तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उक्त अनुदान 10 वर्ष की पट्टा अवधि में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक : 12 – संचालक मत्स्योद्योग म.प्र. शासन भोपाल द्वारा मांग संख्या 15, 41, 52, 16, 64, 74 के अन्तर्गत पात्रतानुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक : 13 – विभाग द्वारा प्रस्तावित सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु जिले के उपायुक्त सहकारी संस्थाएं खरगोन कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होते है। जिन पर विभागीय अनुशंसा मत्स्य नीति अनुसार पंजीयन हेतु की जाती है। वर्तमान में कुल 102 पंजीकृत मछुआ सहकारी संस्थाएं मत्स्य पालन कार्य कर रही है।

बिन्दु क्रमांक : 14 – विभागीय योजनाओं की जानकारी व इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर माध्यम से निर्धारित की गई है। इन्हें संधारित करने की और अधिक प्रयास किये जा रहे है जो कार्यालय में उपलब्ध सभी अभिलेख एवं जानकारियों को व्यवस्थित रखी जा रही है।

बिन्दु क्रमांक : 15 – संचालक मत्स्योद्योग म.प्र. भोपाल के आदेशानुसार प्रशासनिक कार्यालय के लिये प्रथम लोक सूचना अधिकारी जिला स्तर पर श्री डी0 एस0 सोलंकी सहायक संचालक एवं सहायक लोक अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर अपने –अपने क्षेत्रान्तर्गत सहायक मत्स्य

अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षक नियुक्त किये गये है। कार्यालय में पृथक से पुस्तकालय एवं वाचनकक्ष उपलब्ध नहीं है, कार्यालय में सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व श्री दिलीप सोलंकी सहायक मत्स्य अधिकारी कर रहे है।

बिन्दु क्रमांक : 16 – सूचना का अधिकार (अधिनियम 2005) म.प्र. भोपाल के उक्त आदेशों के तहत सूचना के अधिकार 2005 के क्रियान्वयन हेतु प्रशासन जिला स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पचायत खरगोन एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी संचालक मत्स्योद्योग म.प्र. शासन भोपाल नियुक्त है।

बिन्दु क्रमांक : 17 – म.प्र. शासन से समय – समय पर प्राप्त सूचनाएं निर्देश तथा विधिक कार्यवाहियों का संधारण कार्यालयनुसार किया जा रहा है।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला खरगोन म0प्र0